रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249427
CG-DL-E-13102023-249427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945
No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2023

सं. 34/2023

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.10 (i) में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/028/एएम24/पीसी–4.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.10 (i) के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

मौजूदा पैरा 4.10 (i)	संशोधित पैरा 4.10 (i)
विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का	विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का

हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित निविष्टि पर कोई निविष्टि कर क्रेडिट के लाभ का दावा नहीं किया जाएगा।	हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। **आयातित या स्वदेशी रुप से प्राप्त शुल्क मुक्त सामग्री क हस्तांतरण के मामले में एक ही राज्य या विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों के बीच जिस पर जीएसटी का भुगतान किया गया है, निविश्टि कर क्रेडिट का लाभ जीएसटी कानून एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होगा।**

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.10 (i) को व्यापार करने में सुगमता एवं लेन–देन लागत को कम करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.10 (i) के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के संबंध में आईजीएसटी भुगतान की गई सामग्री पर निविष्टि कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th October, 2023

No. 34/2023

Subject: Amendments in Para 4.10 (i) of the Handbook of Procedures, 2023.

F. No. 01/94/180/028/AM24/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the provision of Para 4.10 (i) of the Handbook of Procedures 2023:

Existing para 4.10 (i)	Amended para 4.10 (i)
Transfer of any duty-free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of a company to another unit for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Customs Authority. Benefit of Input Tax Credit shall not be claimed on such transferred input.	Transfer of any duty-free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of a company to another unit for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Customs Authority. In case of transfer of duty free imported or indigenously procured materials, on which GST has been paid, between the units located in same or different States, the availment of Input Tax Credit shall be governed as per the provisions of the GST law & the rules made thereunder.

Effect of the Public Notice: Para 4.10 (i) of the Handbook of Procedures 2023 has been amended to permit availment of Input Tax Credit on GST paid material, in respect of Advance Authorization Scheme, for ease of doing business and reduction of transaction cost.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.13 22:41:58 +05'30'